

स्वीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-306/2015 श्र0सं0-
बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

128

प्रेषक,

मो० सलीम,
श्रम आयुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी

पटना/मधुबनी/पूर्णियाँ/पूर्वी चंपारण(मोतिहारी)/मधेपुरा/भागलपुर/बांका ।

पटना, दिनांक :- 29-3-16

विषय:-

आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-103-सामान्य श्रम कल्याण- मांग
संख्या-26उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-P-2230011030103)
के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1455 दिनांक 18.05.15 के आलोक
में चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 में 31 मार्च, 2016 तक व्यय हेतु आपकी अध्यक्षता में गठित " बाल श्रमिक
पुनर्वास-सह-कल्याण कोष" में जमा करने हेतु रू० 5000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र प्रति बाल श्रमिक की दर
से निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र०सं०	प्राथमिक इकाईयाँ	जिला का नाम	बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि	पत्रांक/ज्ञापांक
1	2	3	4	5	6
1	28-01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	पटना	28	140000	555/19.03.16
2	तदैव	मधुबनी	52	260000	221/18.03.16
3	तदैव	पूर्णियाँ	19	95000	351/15.03.16
4	तदैव	पूर्वी चंपारण(मोतिहारी)	18	90000	--/15.03.16
5	तदैव	मधेपुरा	13	65000	111/17.03.16
6	तदैव	भागलपुर	27	135000	317/16.03.16
7	तदैव	बांका	32	160000	319/16.03.06
कुल योग			189	945000	

कुल आवंटित राशि रूपये नौ लाख पैतालीस हजार मात्र ।

- वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि० दिनांक-24.3.15, पत्रांक-5294 वि० दिनांक-17.6.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा शीघ्र इस विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ।
- यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

मो० सलीम

श्रम आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-306/2015 श्र0सं0-

128

पटना, दिनांक 29-3-16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

मो० सलीम

श्रम आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-306/2015 श्र0सं0-

128

पटना, दिनांक

29-3-16

* स्पीड
पोस्ट

प्रतिलिपि:-सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/

*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त /संबंधित सहायक श्रमायुक्त/ संबंधित श्रम अधीक्षक/श्रमायुक्त के सचिव, पटना/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /प्रशाखा पदाधिकारी-01 श्रम पक्ष को उनके गै०स०प्रे०सं०-109 (श्रम पक्ष), दिनांक-28.03.16 के आलोक में /प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा ।

(मो० सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार।

29/3/16